गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि क्रॉसिंग रिपब्लिक इन्टीग्रेटिड टाउनशिप में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं॰: जीएच–12 के कुल क्षेत्रफल 27244.08 वर्गमी॰ भूमि में से 800.00 वर्गमी॰ भूमि को छोड़ते हुए विकासकर्ता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग के स्थान पर भूखण्डीय विकास हेतु तलपट मानचित्र सं॰–GDA/LD/23-24/0885 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। विकासकर्ता द्वारा तलपट मानचित्र में क्रिया परिवर्तन की स्वीकृति से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत जन–सामान्य से एक माह की अवधि हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त करते हुए मा॰ बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये ग्रुप हाउसिंग मानचित्र के स्थान पर भूखण्डीय विकास हेतु तलपट मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व यदि किसी हित धारक व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में मुख्य नगर नियोजक, गा॰वि॰प्रा॰ के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की दिनाँक से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, f : @ Gda Ghaziabad : @ gdagzb

हेल्पलाईन 0120-4418 384, व्हाट्सएपः 9990988004 वेबसाईटः www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प